Madhya Pradesh and Uttar Pradesh would make available Rs. 50 crores each during the VII Plan period.

International and National prices of steel

2415. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a wide difference between domestic and international steel prices; and

(b) if so, what are the details of the differences in the domestic and international prices of various varieties of steel?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) and (b) Estimated current C.I.F. and domestic stockyard prices of major categories of imported steel items at prevailing conversion rates as on 1-10-86 are shown below:

Rs./Tonne

Product	Estimated C.I.F. Price*	Stockyard Price
Billets	2677	4540
Bars & Rods	3233	5210
Beams	3595	6960
Channels	3595	6880
Angles	3557	6690
Unequal Angles	4138	7610
Plates	3440	7390
GP Sheets (0·35 mm)	6065	16860
HR Coils (3.15 mm)	3298	7015
CR Coils (0·63 mm)	4397	9535

*At Rs. 12.98 to the US Dollar.

कीटनाशकों के कारण प्रदूषण

2416. **श्री शरद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसलों और अन्य साग-सब्जियों पर किए जाने वाले कीटनाशकों के छिड़काव का मात्र 1 प्रतिशत अपने लक्ष्य पर कार्य करता है और शेष 99 प्रतिशत भाग प्रदूषण के रूप में फैल जाता है, जिससे डिसेंट्री, दमा, हृदय रोग, उल्टी, सिरदर्द, अंधापन पागलपन आदि बीमारियां हो जाती हैं, जैसा कि अमरीका के दो विश्व-विख्यात जव-वैज्ञानिक श्री डेविड पाइमेंटल और श्री क्लाइव एडवर्ड के "बायो साइंस' में प्रकाशित शोध पत्रों से स्पष्ट है, और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बार-बार यह दर्शाय

गया है कि पाऊडर के रूप में छिड़की जाने वाली कीटनाशी दवाइयों का 10–20 प्रतिशत तथा फुहारे के रूप में छिड़की जाने वाली दवाइयों का 25 से 50 प्रतिशत भाग पौधे की सतह पर पड़ता है और एक प्रतिशत से कम भाग लक्षित कृमि तक पहुंचता है । कीटनाशी दवाई छिड़कने के लिये बहुत उचित लक्ष्य का पता लगाने के लिये जमीन पर कृमि के पूरे जीवन चक्र में उसके आचरण को ध्यानपूर्वक जांच करना जरूरी है अर्थात् कृमि नियंत्रण की कार्य नीति के कई लक्ष्य हो सकते हैं जैसे कि वह वनस्पति जिस पर छोटे कृमि अपना आहार प्राप्त करते हैं, पत्तों आदि में छिद्र करने वाले तथा पत्ते खाने वाले एवं पौधों में छिप कर रहने वाले कृमियों या मिट्टी में रहने वाले कृमियों पर नियंत्रण के लिये जड़ों में दवाई छिड़कना या पौधे रूपी छतरी जहां से पक्षियों और बीजकोषों को खाने वाले कृमियों द्वारा तनों और पर्णवृन्तों से घातक खुराक चसी जाती है । खरपतवार नाशक दवाइयों के मामलों में इस्तेमाल की विधि केवल लक्ष्य पर ही नहीं वरन् इस बात पर भी निर्भर करेगी कि खरपतवार नाशक दवा पौधों को कितनी सरलता से बींधती है और उनमें किस हद तक फैलती है ।

कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत भारत में कीटनाशी दवाओं के अनिवार्य पंजीकरण के लिये अपेक्षित उनके विषाक्तता संबंधी व्यापक अध्ययन इस प्रकार बनाये गये हैं कि मनुष्यों, पशुओं तथा उनसे संबंधित सामग्री का सुरक्षा सुनिश्चित रहे । इस योजना के अन्तर्गत निर्माता, मृदा, पानी और फसलों में अवशेषों से संबंधित आंकड़े तैयार करके पंजीकरण समिति को (जो कीटनाशी दवाओं के पंजीकरण के लिये जिम्मेदार समिति है) विस्तृत मूल्यांकन के लिये प्रस्तुत करते हैं । जिन कीटनाशी दवाओं के अवशेष सह्य सीमा से अधिक नहीं पाये जाते, उनका इस देश में प्रयोग करने के लिये पंजीकरण किया जाता है । अतः, कीटनाशी दवाइयों के कारण पर्यावरण के प्रदूषण द्वारा पेचिश, दमा, हृदय रोग, कैं, सिरदर्द, दृष्टि-हीनता, पागलपन आदि होने का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) कम मात्रा में छिड़काव, दानेदार कीटनाशी दवाइयों का उपयोग, बीजोपचार, तथा कीटनाशी दवाओं के उपयोग का बेहतर समय निर्धारण जैसी इस्तेमाल की उन्नत प्रौद्योगिकी का सुझाव दिया जाता है । भारत सरकार ने कीटनाशी दवाओं के विभिन्न वर्गों के लिये ऐसे दल गठित किये हैं जिन्होंने विभिन्न कीटनाशी दवाइयों का अनुमोदित उपयोग निर्धारित करने के लिये सारांश तैयार किये हैं, जिनमें प्रभावी कीटनाशी दवाइयों की संस्तुत मात्रा, अन्तराल और प्रतीक्षा की अवधियां सुझाई गई हैं जो विभिन्न कीटनाशी दवाइयों को तरजीह दी जाती है जिनसे स्तनधारी जीवों में विषाक्तता कम हो ।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये कीटनाशी दवा नियम, 1971 के अन्तर्गत प्रत्येक कीटनाशी दवा की पैंकिंग में एक पर्चा रखना होगा जिसमें वनस्पति रोग कीटों, एवं हानिकर पशुओं या खरपतवार का ब्यौरा जिनके लिये वह कीटनाशी दवा इस्तेमाल की जानी हो, इस्तेमाल के समय उस कीटनाशी दवा को प्रयोग में लाने की विधि संबंधी पर्याप्त निर्देश, मनुष्यों, पशुओं एवं जंगली जानवरों के लिये हानिकारक रसायनों का विवरण, चेतावनी और सावधानी संबंधी विवरण, उपयुक्त चेतावनी सहित कीटनाशी दवा को भण्डारित करने तथा इस्तेमाल करने संबंधी सावधानियां युक्त डिब्बों आदि को प्रदूषण रहित बनाने या उनके सुरक्षित निपटान संबंधी हिदायतें और विषनिवारक दवा का विवरण विस्तृत रूप में दिया हुआ होगा । ये पर्चे अंग्रेजी, हिन्दी तथा एक क्षेत्रीय भाषा में छापे जाते हैं ।

Import of coal for steel plants

2417. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government import coking coal for steel plants;

(b) if so, what is the quantity of coking coal imported during the last three years, year-wise for this purpose;